न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 01/2017 (76 एलआर) बिरदाराम बनाम गंगाराम वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2017/00148)

बिरदाराम पुत्र डूंगरराम जाति माली, निवासी–ग्राम बालेसर सतां तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

..... अपीलांट

बनाम

1 गंगाराम पुत्र श्री आईदानराम,
2 अशोक पुत्र गजाराम,
3 श्रीमती कमला पत्नी गजाराम
सभी जाति माली, निवासीगण ग्राम बालेसर सतां, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
4 तहसीलदार बालेसर, जिला जोधपुर।

..... रेस्सपोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश अपर जिला कलेक्टर प्रथम जोधपुर दिनांक 31.08.2016 अंतर्गत राजस्व अपील सं. 53/2016

उपस्थित :

1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री बेनाराम पटेल।
2 रेस्पो. सं. 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार।
3 रेस्पोडेंट संख्या 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

निर्णय

दिनांक : 30.04.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955 के तहत अपर जिला कलेक्टर प्रथम जोधपुर के राजस्व अपील सं. 53/2016 में पारित आदेश दिनांक 31.08.2016 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के लिए अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम भी पेश किया गया।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर प्रथम जोधपुर के समक्ष धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

30/4
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

1956 के तहत अपीलांट की ओर से तहसीलदार शेरगढ़ के प्रकरण संख्या 28/2000 में पारित आदेश दिनांक 23.01.2001 के विरुद्ध राजस्व अपील सं. 53/2016 पेश की गई। ग्राम बालेसर सतां में एक खान संख्या 96 बनाप 100 फीट लंबी व 50 फीट चौड़ी आई हुई थी। उक्त खान अपीलार्थी को जरिए हस्तांनांतरण आदेश दिनांक 24.10.2002 को प्राप्त हुई थी। उक्त खान पूर्व में खान एवं भू–विज्ञान विभाग बालेसर द्वारा हुक्माराम पुत्र टीकूराम जाति मेघवाल, निवासी बालेसर सतां, जोधपुर को दिनांक 24.08. 1976 को आवंटित की गई थी। आवंटन की दिनांक से हस्तांतरण की दिनांक तक उक्त खान का वास्तविक कब्जा व कानूनी रूप से कब्जा हुक्माराम के पास रहा एवं हस्तांतरण की दिनांक से उक्त खान अपीलांट के आधिपत्य व कब्जे में है। उक्त हस्तांतरण अपीलार्थी को जरिए रसीद संख्या 421372/56 दिनांक 05.09.2002 को प्राप्त हुई। जिसका सर्वे दिनांक 19.10.2002 को मौका रिपोर्ट बनाकर दिनांक 24.10.2002 को अपीलांट के पक्ष में हस्तांतरण हुआ। इस प्रकार उक्त खान पर अपीलांट का ही कब्जा रहा एवं नवीनीकरण हेतु भी खान विभाग में प्रार्थनापत्र इत्यादि प्रस्तुत किया था व खान का किराया नियमानुसार जमा करवाता रहा। रेस्पो. सं. 1 गंगाराम अपनी राजनीतिक पहुंच को कूट रचित तरीके से राजस्व अधिकारियों से साठ–गांठ एवं दस्तावेज तैयार कर अपना झूठा कब्जा बताकर खसरा नंबर 838 किस्म गैर मुमकिन भाखर बालेसर सतां की भूमि पर गलत कब्जे के आधार पर संपरिवर्तन करवा लिया जिससे व्यथित होकर प्रथम अपील अधिकारी अपर जिला कलक्टर जोधपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिस पर अपीलांट की अपील खारिज कर दी। अपीलांट ने प्रथम अपील न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 31. 08.2016 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील बउज्र मियाद दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं प्रथम अपील न्यायालय एवं विचारण न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री बेनाराम पटेल ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि प्रथम अपील न्यायालय ने दिनांक 31.08.2016 को अपीलाधीन आदेश पारित किया जिसमें तहसीलदार शेरगढ़ के आदेश दिनांक 23.01.2001 की पुष्ठि की। खान अपीलांट की है जो हुक्माराम से जरिए हस्तांतरण प्राप्त की थी व वर्तमान में अपीलांट का कब्जा है। रेस्पो. सं. 1 गंगाराम राजनीतिक पहुंच वाला व्यक्ति है। झूठे

30/4
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कब्जे के आधार पर धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही अपने नाम अपना कब्जा बताते हुए करवाई। खसरा नं. 838 गै.मु. भाखर पर तहसीलदार ने धारा 91 की कार्यवाही की व बेदखली का आदेश पारित किया। उसके विरुद्ध गंगाराम ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर जोधपुर के यहां अपील की जिसमें प्रथम अपील न्यायालय ने प्रकरण सं. 93/89 दिनांक 26.12.97 को रिमाण्ड कर दिया। गंगाराम ने आवंटन नियम 1992 व संशोधन नियम 1998 के तहत आवेदन किया। दिनांक 23.01.2001 को तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 23.01.2001 आवासीय व वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ खसरा नं. 838 गै.मु.भाखर में से 292.50 वर्गमीटर रेस्पो. सं. 1 के पक्ष में नियमन कर दिया। इस प्रकरण में प्रीमियम राशि जमा करने का आदेश नहीं दिया गया बल्कि बिना आदेश के 4.11.2000 को ही प्रीमियम राशि 8560 रु. जमा करवाई गई। इस प्रकरण में जिस स्थान पर नियमन किया गया है वहां पूर्व में खान थी व भूमि की किस्म गै.मु. भाखर है। जिसका हस्तांतरण आदेश अपीलांट के पक्ष में हुआ। इस नियमन का पता पड़ने पर अपील की लेकिन प्रथम अपील न्यायालय ने अपील खारिज कर दी। अतः यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई है अपीलांट ने कहा कि गै.मु. भाखर नियमन नहीं हो सकता है एवं जिस स्थान पर नियमन किया गया है वहां वर्तमान में खान है जिस पर अपीलांट का कब्जा है अतः प्रकरण को तहसीलदार शेरगढ़ को रिमाण्ड कर अपीलांट को सुनकर पुनः निर्णय पारित करने के निर्देश देने हेतु निवेदन किया।

धारा–5 के प्रार्थना पर के सबंध में अपीलांट के अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील के निर्णय के बारे में अपीलांट को समय पर अवगत नहीं कराया जिसके कारण अपील पेश करने में बिलंब हुआ। दिनांक 31.08.2016 से 11.01.2017 तक की अवधि की देरी को माफ की जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाकर अपील मैरिट पर स्वीकार करने का निवेदन किया।

5 रेस्पो. सं. 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार ने बहस में कथन किया कि अपीलांट ने बताया है कि खसरा नं. 838 गै.मु. भाखर में उसकी 100 फीट लंबी व 50 फीट चौड़ी खान है। अपीलांट ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उसे तकलीफ क्या हुई। जहां मेरा अतिक्रमण था वहां पर मेरा मकान व वाणिज्यिक निर्माण हो रखा है जिसका आवंटन नियम 1992 व संशोधन नियम 1998 के तहत नियमन हुआ है इसमें गै.मु. भाखर भूमि प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में नहीं आती है। मेरे नियमन शुदा आवासीय व वाणिज्यिक निर्माण से अपीलांट की खान आधा कि.मी. दूर है। खसरा नं.

30/4
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

838 काफी बड़ा है। रेस्पो. सं. 1 के विरुद्ध धारा 91 का प्रकरण चला था जिसकी अपील की गई। अपील में रेस्पो. सं. 1 के पक्ष में नियमन करने के निर्देश दिए गए थे उसकी पालना में नियमन सही हुआ है प्रीमियम राशि जमा करवाई है। अपीलांट की अपील, प्रथम अपील अधिकारी ने खारिज की है व जो विधि अनुसार निर्णय किया है रेस्पो. के मकान की लोकेशन राजस्व नक्शे में दर्शाई गई है। अपीलांट की खान आधा कि.मी. दूर है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

6 रेस्पोडेंट संख्या 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि प्रथम अपील न्यायालय ने विधि अनुसार निर्णय पारित किया है अतः अपील खारिज करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों को देखते हुए अपील में हुई देरी माफ कर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। मैरिट पर इस प्रकरण में अपीलांट के अधिवक्ता ने दो बिंदु उठाए हैं। पहला यह है कि गै.मु. भाखर किस्म वाली भूमि का नियमन नहीं किया जा सकता था अतः नियमन नियम विरुद्ध हुआ है जिसको सही मानने में प्रथम अपील न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है। दूसरा बिंदु यह है कि जिस जगह नियमन किया है वहां अपीलांट के कब्जे की खान स्थित है अतः किया गया नियमन बिना मौके की जांच के किया गया है जो नियम विरुद्ध है इस तथ्य का भी प्रथम अपील अधिकारी ने ध्यान में नहीं रखा है।

राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन) नियम 1992 के उपनियम 12 एवं राज्य सरकार की अधिसूचना अधि .सं. प 6(6) राज–6/92/44 दिनांक 29.08.1998 के संशोधन के अनुसार प्रथम बिंदु के संबंध में नियमों में स्पष्ट प्रावधान था कि जहां सरकारी कृषि भूमि 1.1.1994 तक समुदाय के लिए उपयोग में ली गई चारागाह भूमि, नाड़ी, जोहड़, तालाब, अगोर, खलिहान, सड़क, रास्ते, शमसान भूमि और कब्रिस्तान को अपवर्जित करते हुए अधिक्रमित की गई हो और आवासीय या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन की गई हो और मामला इन नियमों के अधीन नियमितीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त पाया जाए वहां ऐसा उपयोग कुल मिलाकर निर्धारित प्रीमियम राशि प्रभारित करके विनियमित किया जा सकेगा। नियम 1992 व संशोधन 1998 में गै.मु. भाखर किस्म की भूमि प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में उल्लिखित नहीं हैं। अतः

3/14
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रथम अपील न्यायालय द्वारा दी गई फाइंडिग में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाई जाती है।

दूसरे बिंदु के संबंध में अपीलांट ने अपनी खान की लोकेशन के संबंध में फार्म संख्या 3 के साथ फोटो स्टेट नामांतरकरण खान एवं भू–विज्ञान विभाग, फोटो कॉपी नक्शा, फोटो कॉपी खानों की कुल नक्शा, फोटो कॉपी जमाबंदी, फोटो कॉपी प्रार्थना पत्र जिला कलेक्टर जोधपुर, फोटो कॉपी नकल प्रार्थना पत्र पेश किया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त नक्शे व दस्तावेजात के अवलोकन से यह प्रमाणित नहीं होता है कि अपीलांट की खान रेस्पों. गंगाराम के नियमितशुदा आवासीय एवं वाणिज्यिक निर्माण के स्थान पर है। अतः अपीलांट यह साबित करने में असफल रहा है कि अपीलांट की खान के स्थान पर ही रेस्पो. को खान की भूमि का संपरिवर्तन किया गया हो। अपीलांट ने प्रथम अपील न्यायालय में उठाए गए तथ्यों के अलावा नए तथ्य इस न्यायालय में पेश नहीं किए गए हैं। अतः अपील सारहीन पाई जाती है।

9 अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। न्यायालय अपर जिला कलेक्टर प्रथम जोधपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.08.2016 एवं तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.01.2001 यथावत रखा जाता है।

30/4/18

(दाताराम)

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

10 निर्णय आज दिनांक 30.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/4/18

(दाताराम)

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर